

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 172/भ.प्र. 2011 - 2012

यह प्रमाणित किया जाता है कि

..... श्री जे. ए. सिंह 65 आर डि. शा. कर्मि. रहता है
तहसील डी. ज. जिला " भरतपुर " का राजस्थान
संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के
अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आन किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से

आन दिनांक पुन्तीरु माह जनवरी
सन् दो हजार बारह को भरतपुर (राज०) में दिया गया।

19.1.12
रजिस्ट्रार संस्थायें
रजिस्ट्रार संस्थाएँ
भरतपुर (राज०)

(राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 एवं 4-क के अन्तर्गत)

31/7/2020

नोटिस

श्री. नेभासेन परमार बीछा समिति

बधताना, डी.ग.।

आपका ध्यान श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक फा.सविरा/रजि०/मिस/2/59/पार्ट-3 दिनांक 09-04-2012 राजस्थान पत्रिका दिनांक 12-04-2012 में प्रकाशित विज्ञप्ति सार्वजनिक सूचना की ओर आकर्षित कर जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 के अनुसार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक के लिए प्रत्येक वर्ष में एक बार वार्षिक साधारण अधिवेशन की सूचना 15 दिवस के भीतर संस्था के सौंपे गये काम काज के प्रबन्ध तत्समय सौंपा हुआ हो सके। उक्त पदाधिकारियों के नाम व पते और उपजीविकाएं अंकित हों, की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 4-क के अन्तर्गत धारा 4 में वर्णित सूची के साथ ही संस्था के सदस्य / पदाधिकारियों एवं विधान/नियमावली में उस वर्ष हुए परिवर्तनों के विवरण संस्था के पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित हो भी रजिस्ट्रार संस्थायें को 15 दिवस के भीतर प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 4-ख के अनुसार यदि किसी संस्था का अध्यक्ष, सचिव या अन्य प्राधिकृत कोई व्यक्ति जो कि अधिनियम की धारा 4 एवं 4-क कीपालना किये जाने के लिए दायित्वाधीन है, उक्त धारा 4 एवं 4-क के उपबन्धों के अंतर्गत रजिस्ट्रार संस्थायें को सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह दोष सिद्ध होने पर 500/- रु तक के आर्थिक दण्ड का भागीदार हो सकेगा और ऐसे अपराध के लिए प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् प्रति 50/- रु अनधिक आर्थिक दण्ड अधिरोपित किये जाने के भी प्रावधान हैं।

इसी प्रकार उक्त धारा 4-ख की उप धारा 2 के अनुसार यदि कोई संस्था की ओर से सूचनाओं सम्बन्धी विवरण में जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता है तो 2000/- रु तक के अर्थ दण्ड के लिए दण्डनीय है।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि आप अपनी संस्थ में सम्बन्धित उक्त अधिनियमान्तर्गत वांछित सूचानएं वर्ष 2018-2019 तक की एवं संस्था द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा प्रति वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्तानुसार सूचना प्रस्तुत करना भविष्य में सुनिश्चित करें, अन्यथा अधिनियम की धारा 4-ग के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह नोटिस आज दिनांक 07/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थायें
रजिस्ट्रार संस्थायें
भरतपुर (राज०)

नाम : श्री नेमसिंह परमार शिक्षा समिति, ग्रा०पो०- बहताना, तह०-डीग, भरतपुर
(तुलनात्मक विवरण पत्र)

20.06.2020

क्र. स.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम (पुराना)	विधान में संशोधित नियम (नया)
1.	3	पूर्व प्रावधान नहीं	- संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा करने हेतु चन्दा, दान, अनुदान, सहायता, देशी विदेशी एजेंसियों से दानदाताओं से जन प्रतिनिधियों से व सरकारी गैर सरकारी विभागों से प्राप्त करेगी तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करेगी। एवं बैंक में एफ.डी करवाना एवं उन पर लोन लेना व निरस्त कराना। - संस्था मूक-बधिर विद्यालय, महाविद्यालय एवं शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान खोलना व संचालन करना। - पशुधन सहायक एवं पशु चिकित्सक महाविद्यालय खोलना व संचालन करना। (उपरोक्त उद्देश्यों में कोई भी लाभ निहित नहीं है)
2.	11	संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी सदस्य निम्न प्रकार होंगे :- 1. अध्यक्ष - एक 2. उपाध्यक्ष - एक 3. मंत्री - एक 4. कोषाध्यक्ष - एक 5. सदस्य - तेरह 6. मनोनीत सदस्य - एक इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में चार पदाधिकारी व तेरह सदस्य मनोनीत सदस्य - एक कुल अठारह सदस्य होंगे।	संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :- 1. अध्यक्ष - एक 2. उपाध्यक्ष - एक 3. मंत्री - एक 4. कोषाध्यक्ष - एक 5. सदस्य - दस इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में चार पदाधिकारी व दस सदस्य कुल चौदह सदस्य होंगे। विधान सशोधन पंजीकृत दिनांक 07/08/2020 रजिस्टार संस्था भरतपुर (राज०)
3.	11 अ	पूर्व प्रावधान नहीं	शैक्षिक संस्थान के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक शैक्षिक संस्थान की प्रबन्ध समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया। जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे। 1. अध्यक्ष - एक 2. उपाध्यक्ष - एक 3. मंत्री - एक 4. कोषाध्यक्ष - एक 5. सदस्य - दस 7. मनोनीत सदस्य - सात 1. छात्र प्रतिनिधि 2. अभिभावक प्रतिनिधि 3. स्टाफ प्रतिनिधि 4. शिक्षा विज्ञान प्रतिनिधि - दो 5. महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर का प्रतिनिधि 6. विभागीय प्रतिनिधि जिशिअ भरतपुर इस प्रकार शैक्षिक संस्थान की प्रबन्धकारिणी में चार पदाधिकारी व दस सदस्य व मनोनीत सात सदस्य कुल इक्कीस सदस्य होंगे।

रजिस्टार
अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

नाम : श्री नेमसिंह परमार शिक्षा समिति, ग्रा०पो०- बहताना, तह०-डीग, भरतपुर

(शैक्षिक संस्थान प्रबन्ध समिति)

साधारण सभा दिनांक 20.06.2020 को शैक्षिक संस्थान की प्रबन्ध समिति का निम्न प्रकार गठन किया गया।

क्र.सं.	नाम- पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1.	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह	निजी कार्य	वार्ड नं० 02, राफ, भरतपुर	अध्यक्ष
2.	श्री श्याम बिहारी पुत्र श्री पदमसिंह	कृषक	ग्रा.बहताना, तह०-डीग, भरतपुर	उपाध्यक्ष
3.	श्री रविन्द्रपाल सिंह परमार पुत्र श्री नेम सिंह परमार	कृषक	ग्रा. बहताना, तह०-डीग, भरतपुर	मंत्री
4.	श्री योगेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री अमर चन्द	प्राईवेट शिक्षक	ग्रा.पो.-सतवास, कामां, भरतपुर	कोषाध्यक्ष
5.	श्री आनन्द सिंह सोलंकी पुत्र श्री मंगलसिंह	प्राई.सर्विस	गौशाला, धौलपुर	सदस्य
6.	श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री दलजीत सिंह	कृषक	ग्रा.बडौदा मेव, तह.-लक्ष्मणगढ, अलवर	सदस्य
7.	श्रीमती कुसुम देवी पत्नी श्री करण	गृहणी	ग्रा. बहताना, तह०-डीग, भरतपुर	सदस्य
8.	श्रीमती प्रज्ञा देवी पत्नी श्री श्रीकान्त नारुका	गृहणी	पुराने आर.टी.ओ ऑफिस के पास, हरदेव बिहार, अलवर	सदस्य
9.	श्रीमती राधा कैवर पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह	गृहणी	क्षत्रिय स्कूल के पास, राठौर भवन, अलवर	सदस्य
10.	श्रीमती लक्ष्मी देवी भदौरिया पत्नी श्री नीलम सिंह भदौरिया	गृहणी	13/356, नया बास, छतरी विद्यालय के पास, अलवर	सदस्य
11.	श्रीमती चरनजीत पत्नी श्री सतवीर	प्राइवेट शिक्षक	सूरज बाग कॉलोनी, कामां, भरतपुर	सदस्य
12.	श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री महेशचन्द गुप्ता	गृहणी	सूरज बाग कॉलोनी, कामा, भरतपुर	सदस्य
13.	श्रीमती ममता कुमारी पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह	गृहणी	गंगा मंदिर कॉलोनी, रूपवास, भरतपुर	सदस्य
14.	श्री देवकी नन्दन सैनी पुत्र श्री नदली राम सैनी	प्रा०सर्विस	ग्रा. बहताना, तह०-डीग, भरतपुर	सदस्य
15.	छात्र प्रतिनिधि श्री नारायणसिंह मीठा पुत्र श्री समप्रसिंह मीठा	छात्र प्रतिनिधि	देऊ, नगर-भरतपुर	मनो० सदस्य
16.	अभिभावक प्रतिनिधि श्री कन्हारी लाल मदन पुत्र श्री सुमवीर मदन	अभिभावक प्रतिनिधि	देऊ, नगर-भरतपुर	मनो० सदस्य
17.	स्टाफ प्रतिनिधि ज्योति काला पुत्री श्री कमलेश कुमार	स्टाफ प्रतिनिधि	देऊ, नगर-भरतपुर	मनो० सदस्य
18.	शिक्षाविज्ञ प्रतिनिधि श्री रिकू सैनी पुत्र श्री मंगल राम सैनी	शिक्षाविज्ञ प्रतिनिधि	देऊ, नगर-भरतपुर	मनो० सदस्य
19.	शिक्षाविज्ञ प्रतिनिधि श्री मानक चंद सैनी पुत्र श्री पनमल सैनी	शिक्षाविज्ञ प्रतिनिधि	देऊ के पीछे, देहली गेट, कामां, भरतपुर	मनो० सदस्य
20.	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर का प्रतिनिधि	-	-	मनो० सदस्य
21.	विभागीय प्रतिनिधि जिशिअ भरतपुर	-	-	मनो० सदस्य

रविन्द्र सिंह
अध्यक्ष

RPSKumar
सचिव

हस्ताक्षर निर्वाचन अधिकारी
कोषाध्यक्ष

नाम : श्री नेमसिंह परमार शिक्षा समिति, ग्रा०पो०- बहताना, तह०-डीग, भरतपुर
(वर्तमान कार्यकारिणी)

साधारण सभा दिनांक 20.06.2020 को प्रबन्ध कार्यकारिणी का निर्वाचन कर निम्न प्रकार नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया।

क्र.सं.	नाम- पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1.	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह	निजी कार्य	वार्ड नं० 02, राफ, भरतपुर	अध्यक्ष
2.	श्री श्याम बिहारी पुत्र श्री पदमसिंह	कृषक	ग्रा.बहताना, तह०-डीग, भरतपुर	उपाध्यक्ष
3.	श्री रविन्द्रपाल सिंह परमार पुत्र श्री नेम सिंह परमार	कृषक	ग्रा. बहताना, तह०-डीग, भरतपुर	मंत्री
4.	श्री योगेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री अमर चन्द	प्राईवेट शिक्षक	ग्रा.पो.- सतवास, कामां, भरतपुर	कोषाध्यक्ष
5.	श्री आनन्द सिंह सोलंकी पुत्र श्री मंगलसिंह	प्राई.सर्विस	गौशाला, धौलपुर	सदस्य
6.	श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री दलजीत सिंह	कृषक	गौशाला, धौलपुर	सदस्य
7.	श्रीमती कुसुम देवी पत्नी श्री करण	गृहणी	ग्रा.बहताना, तह०-डीग, भरतपुर	सदस्य
8.	श्रीमती प्रज्ञा देवी पत्नी श्री श्रीकान्त नारुका	गृहणी	ग्रा.बहताना, तह०-डीग, भरतपुर	सदस्य
9.	श्रीमती राधा कैवर पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह	गृहणी	क्षत्रिय स्कूल के पास, राठौर भवन, अलवर	सदस्य
10.	श्रीमती लक्ष्मी देवी भदौरिया पत्नी श्री नीलम सिंह भदौरिया	गृहणी	135/356, नया बास, छतरी विद्यालय के पास, अलवर	सदस्य
11.	श्रीमती चरनजीत पत्नी श्री सतवीर	प्राइवेट शिक्षक	सूरज बाग कॉलौनी, कामां, भरतपुर	सदस्य
12.	श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री महेशचन्द गुप्ता	गृहणी	सूरज बाग कॉलौनी, कामां, भरतपुर	सदस्य
13.	श्रीमती ममता कुमारी पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह	गृहणी	गंगा मंदिर कॉलौनी, रूपवास, भरतपुर	सदस्य
14.	श्री देवकी नन्दन	गृहणी	ग्रा. बहताना, तह०-डीग, भरतपुर	सदस्य

कार्यकारिणी की सूची का डन की गई।

रजिस्टार संस्थाएं
भरतपुर (राज०)

हस्ताक्षर निर्वाचन अधिकारी

रविन्द्र सिंह
अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष